उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–37/2023–24

मु0 शबीर

बनाम्

झारखण्ड राज्य एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक	
	प्रविष्टि बिन्दु पर अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0–29/2021–22 (भोला यादव वगै0 बनाम् मंटु यादव वगै0) के आदेश दिनांक–02.09.2022 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–रामकोल नं0–457, जमाबंदी सं0–30, दाग नं0–144, 155 कुल रकवा 00–03–05 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में फागु गोप के नाम से दर्ज है। फागु गोप नावल्द फौत कर गये हैं। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0–29/2021–22 (भोला यादव वगै0 बनाम् मंटु यादव वगै0) आदेश दिनांक–02.09.2022 द्वारा दोनों पक्षों के दावा को वैध नहीं रहने के कारण खारिज किया गया है। उनका आगे कथन है कि वर्ष 1937 में अपीलकर्त्ता के नाम से कुर्फा के आधार पर जमीन बंदोवस्त किया गया है। अपीलकर्त्ता भूमिहीन है एवं उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्रासंगिक जमीन को अपीलकर्त्ता के नाम से बंदोवस्त किया जाय तथा उनके अपील आवेदन को अंगीकृत किया जाय। विज्ञ सरकारी वकील का कथन है कि निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश नियम संगत है। इसलिए अपील आवेदन को अंगीकृत नहीं किया जा सकता है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त जमीन के जमाबंदी रैयत नावल्द फौत कर गये हैं। अपीलकर्त्ता जमाबंदी रैयत के वंशज नहीं हैं। अतएव उक्त फौती जमीन पर अपीलकर्त्ता का दावा वैध प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन अंगीकृत करने योग्य नहीं है। अतः प्रविष्टि बिन्दु पर अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है। लिखवाया एवं शुद्ध किया। उपायुक्त, गोड्डा। उपायुक्त, गोड्डा।

Digitally signed by Anjali Yadav
Date: 2025.09.19 11:33:59 +05:30
Location: 192.168.1.33